THE
JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY

PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 56 **4 Poush, 1940(S)**

Ranchi, Thursday, 24th January, 2019

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

Notification

24th January, 2019

Notification No. -29/2018 – State Tax(Rate)

S.O. No. 7 Dated- 24th January, 2019-- In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of Jharkhand, in the Commercial Taxes Department, No.13/2017- State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 43, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification,-

(i) in the Table,-

(a) against serial number 1,in the entry in column (2), after item (g), the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided that nothing contained in this entry shall apply to services provided by a goods transport agency, by way of transport of goods in a goods carriage by road, to, -

(a) a Department or Establishment of the Central Government or State Government or Union territory; or

(b) local authority; or

(c) Governmental agencies,

which has taken registration under the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) only for the purpose of deducting tax under section 51 and not for making a taxable supply of goods or services.";

(b) after serial number 11 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"12.	Services provided by business facilitator (BF) to a banking company	Business facilitator (BF)	A banking company, located in the taxable territory
13.	Services provided by an agent of business correspondent (BC) to business correspondent (BC).	An agent of business correspondent (BC)	A business correspondent, located in the taxable territory.
14.	Security services (services provided by way of supply of security personnel) provided to a registered person: Provided that nothing contained in this entry shall apply to, - (i)(a) a Department or Establishment of the Central Government or State Government or Union territory; or (b) local authority; or (c) Governmental agencies; which has taken registration under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) only for the purpose of deducting tax under section 51 of the said Act and not for making a taxable supply of goods or services; or (ii) a registered person paying tax under section 10 of the said Act.	Any person other than a body corporate	A registered person, located in the taxable territory.";

(ii) in the Explanation, after clause (g), the following clause shall be inserted, namely:-

"(h) provisions of this notification, in so far as they apply to the Central Government and State Governments, shall also apply to the Parliament and State Legislatures.".

2. This notification shall be deemed to be effective from 01st January, 2019.

[File. No Va Kar / GST / 05/ 2018]
By the order of the Governor of Jharkhand

Prashant Kumar,
Secretary-cum-Commissioner.

Note: -The principal notification No. 13/2017 - State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017 was published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 43, dated the 29th June, 2017 and was last amended by notification No. 15/2018 - State Tax (Rate), dated the 17th August, 2018 *vide* S.O. No. 51, dated the 17th August, 2018.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

24 जनवरी, 2019

अधिसूचना सं०. 29/2018- राज्य कर (दर)

एस. ओ. सं. 7 दिनांक 24 जनवरी, 2019-- झारखण्ड माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 09 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, झारखण्ड सरकार, के वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 13/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017 जिसे एस. ओ. सं. 43, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) सारणी में,-

(a) क्रम संख्या 1 के समक्ष, कॉलम (2), मद (छ) के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"बशर्ते कि इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात ऐसे किसी माल परिवहन एजेंसी के द्वारा, सड़क मार्ग से गुड्स कैरिज में माल के परिवहन के रूप में -

(क) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के विभाग या प्रतिष्ठान; या

(ख) स्थानीय प्राधिकरण; या

(ग) सरकारी एजेंसियों,

जिन्होंने केवल धारा 51 के अंतर्गत कर में कटौती किए जाने के लिए झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) में पंजीकरण कराया हो और न कि माल या सेवाओं की कर वाली आपूर्ति करने के लिए, को प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर लागू नहीं होगी," ;

(ख) क्रम संख्या 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“12.	बिजनेस फैसिलिटेटर(बीएफ) के द्वारा बैंकिंग कंपनी को दी जाने वाली सेवाएं	बिजनेस फैसिलिटेटर(बीएफ)	कोई भी कंपनी जो कर वाले भू-क्षेत्र में अवस्थित हो
13.	किसी बिजनैस कोरेसपोंडेंट (बीसी) के किसी एजेंट के द्वारा बिजनैस कोरेसपोंडेंट (बीसी) को दी जाने वाली सेवाएं	बिजनैस कोरेसपोंडेंट (बीसी) का एजेंट	ऐसा बिजनैस कोरेसपोंडेंट (बीसी) जो कि कर वाले भू-क्षेत्र में अवस्थित हो
14.	किसी पंजीकृत व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली सुरक्षा सेवाएं (ऐसी सेवाएं जो सुरक्षा कार्मिकों की आपूर्ति करके दी गई हों): बशर्ते कि इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात उन गार्ड की सेवाओं पर लागू नहीं होगी जो कि, - (i) (क) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के विभाग या प्रतिष्ठान; या (ख) स्थानीय प्राधिकरण; या (ग) सरकारी एजेंसियों, जिन्होंने केवल धारा 51 के अंतर्गत कर में कटौती किए जाने के लिए माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) में पंजीकरण कराया हो और न कि माल या सेवाओं की कर वाली आपूर्ति करने के लिए, को प्रदान की गई हो”; (ii) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो कि माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 10 के अंतर्गत कम्पोजिशन स्कीम के लिए पंजीकृत हों ।	कोई भी व्यक्ति जो कि निगमित निकाय से भिन्न हो	ऐसा कोई पंजीकृत व्यक्ति जो कर वाले भू-क्षेत्र में अवस्थित हो”;

(ii) स्पष्टीकरण में, उप वाक्य (छ), के पश्चात निम्नलिखित उपवाक्य को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"(ज) इस अधिसूचना के प्रावधान जहां तक ये केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों पर लागू होते हैं, संसद और राज्यों के विधान मंडल पर भी लागू होंगे ।.".

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2019 से लागू मानी जाएगी।

[सं.सं .वा०कर/जी०एस०टी०/05/2018]
झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

प्रशांत कुमार,
सचिव-सह-आयुक्त

नोट : प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना संख्या 13/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017 को एस. ओ. सं. 43, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अधिसूचना संख्या 15/2018- राज्य कर (दर) दिनांक 17 अगस्त, 2018, एस. ओ. सं. 51, दिनांक 17 अगस्त, 2018 के तहत, के द्वारा संशोधन किया गया है ।

Printed & Published by the Superintendent of Jharkhand Government Press, Doranda, Ranchi.
Jharkhand Gazette (Extraordinary) 56 -- 50.